राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4889/2022

संतोष कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू (राज.)।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, जिला झुंझुनू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022
आदेश की दिनांक : 15.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर बी.सी.एम.ओ., चिडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, सवाउमूलराज, बाड़मेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर किया गया है और उसे आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2015 में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी का पुत्र जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है, जो अपीलार्थी पर ही निर्भर है, जिसकी देखभाल

अपीलार्थी द्वारा ही की जाती है। अपीलार्थी के परिवार में अन्य सदस्य भी पीड़ित हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उसका स्थानान्तरण अधिशेष मानते हुए किया गया है। आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के विरूद्ध जारी किया गया है। अपीलार्थी को ना तो यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 विधि विरूद्ध जारी किया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर बी.सी.एम.ओ., चिडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पुत्र जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है, जो अपीलार्थी पर ही निर्भर है, जिसका निरंतर उपचार भी चल रहा है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जा रही है। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह

स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)